सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

चैत्र 21, शुक्रवार शाके 1942- अप्रेल 10, 2020

Chaitra 21, Friday , Saka 1942- April 10, 2020

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 10,2020

एस.ओ.224 :-कोविड-19 वैश्विक महामारी (Pandemic) ने व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता व साफ-सफाई की महत्ता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया है। सामान्य तौर पर यह देखने में आता है कि आमजन द्वारा थूंक/पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों पर यहां-वहां थूंक दिया जाता है, जिससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आंशका रहती है। इस संक्रमण को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि आमजन की इन अस्वास्थ्यकारी (Unhealthy) आदतों पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जावे।

ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापक लोक हित में राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थूंक/पान या अन्य चबाये जाने वाले तम्बाकू व गैर तम्बाकू उत्पादों के खाने के बाद पीक को सार्वजनिक स्थानों/संस्थानों में थूकंने पर एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

[संख्या प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020]

रोहित कुमार सिंह,

अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।